राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2579 / 2022

नरेन्द्र कुमार जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, दौसा।
4. श्रीमती रेणू वर्मा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर जिला चिकित्सालय, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 13.01.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।
निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील मे अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 21.07.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी डॉ. रेणू वर्मा का पदस्थापन जिला चिकित्सालय, दौसा में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया था।
2. उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का कहीं भी स्थानान्तरण नहीं किया गया और निजी प्रत्यर्थी को रिक्त पद नहीं होने के बावजूद भी पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. इस अपील में इस अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.08.2022 पारित किया गया और आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 25.07.2022 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखा गया एवं यह भी आदेश दिया गया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का उत्तर प्रस्तुत कर तर्क दिया कि प्रशासनिक आवश्यकता एवं व्यापक जनहित को ध्यान में रखते

हुए नियमानुसार स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना या नियम विरूद्धता नहीं है।

5. निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पृथक से जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि अपीलार्थी एक ही पद पर वर्ष 2015 से कार्यरत है। ऐसे में स्थानान्तरण आदेश को गलत नहीं माना जा सकता। स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक कारणों से पारित किया गया है, जो उचित है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी ने स्थानान्तरण आदेश की पालना में दिनांक 22.07.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में अब स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है।
6. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में कोई स्थानानतरण आदेश पारित नहीं किया गया है और बिना स्थानान्तरण के उसे कार्यमुक्त किया गया है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 1997 से कार्यरत है।
8. अतः उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करते हुए अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.08.2022 को सम्पुष्ट किया जाता है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2022 एवं 25.07.2022 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपीलार्थी की हद तक एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह छूट प्रदान की जाता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता व जनहित में नये सिरे से अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)